



आवश्यक सूचना

महाविद्यालय की समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नियमित छात्राओं को पूर्व सूचना के क्रम में ही पुनः सूचित किया जाता है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जिन छात्राओं के आवास की दूरी निकटतम सड़क मार्ग से 10 किमी से अधिक है। उनको रूपये 20 / - (बीस रूपये) प्रतिदिन देय है। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को देय है, जिनकी आधार आधारित बायोमेट्रिक मशीन से मासिक उपस्थिति 75 प्रतिशत है। छात्राओं द्वारा भरे जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ जनआधार एवं बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र श्री परमेश्वर लाल वरिष्ठ सहायक से प्राप्त कर उन्हें ही वापस जमा करवा दें।

डॉ. रामदेव सिंह भामू
संयोजक
महाविद्यालय ऑनलाईन छात्रवृत्ति

प्राचार्य
राजकीय विज्ञान महाविद्यालय, सीकर